Sainik Sabha

सं0– II–36012 / रेजि0फण्ड / बीमा क्लेम / 2018 - 360-470
महानिदेशालय,भा0ति0सी0पुलिस
गृह मंत्रालय / भारत सरकार
केन्द्रीय कार्यालय परिसर
खण्ड–2, लोदी रोड, नई दिल्ली–03

दिनांकः–02/04/2018

कार्यालय ज्ञापन

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा New India Assurance Co. Ltd. (NIAC Ltd.) से बीमा योजना दिनांक 09 मार्च 2018 से 08 मार्च 2019 तक लागू कर दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत करवाया जाता है कि NIAC Ltd. का वार्षिक प्रीमियम रु0 ~~432~~ 54.50/– प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है जिसकी कटौती माह मार्च 2018 के वेतन से की जाएगी तथा जिन पदाधिकारियों का प्रीमियम केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय आर0के0पुरम द्वारा माह मार्च 2018 के वेतन से कटौती किया जायेगा वह सभी पदाधिकारी बीमित होगें और बीमित कर्मियों का प्रीमियम किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जाएगा। इस बीमा योजना के तहत दि0 09 मार्च 2018 से दि0 08 मार्च 2019 तक दुर्घटना के कारण मृत कर्मचारियों / पदाधिकारियों के उत्तराधिकारियों एवं शारीरिक रुप से अशक्त कर्मियों को निम्नानुसार बीमा लाभांश देय किया जायेगाः–

1	दुर्घटना मृत्यु पर देय लाभांश	–	रुपये 10 लाख मात्र
2	मेडिकल बोर्ड आउट अपंगता पर	–	रुपये 10 लाख मात्र

2. जिन परिस्थितियों में हुए मृत्यु के कारणों को इस बीमा योजना के तहत रखा गया है उसका विवरण निम्नलिखित हैः–

<u>THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD (NIAC LTD.) AWARDS COMPENSATION OF RS 10,00,000/- TO ITBPF ON THE FOLLOWING INCIDENTS</u>:-

- In Action or Combat or Counter-insurgency or Encounter or Bullet hit or Splinter hit or Land –mine hit or Booby-trap.
- Slipping/Falling off mountainous terrain
- Biting by (a) Insects (b) Snakes (c) Animals
- Drowning/Washing away by (a) Floods (b) Landslides (c) Rockslides (d) Earthquake (e) Cyclone (f) Avalanche (g) Tsunami (h) Desert storm
- Murder
- Terrorist activities
- Road or Rail Accident or Air Crash or Sinking of Ship/ Boat /Vessel / Submarine
- Any other Accidental Cause
- Cerebral Malaria duly certified by ITBPF Medical Authority or by any other Government Medical Officer or Government Medical Board
- **Missing Employees/ Untraceable Employees** when declared dead by the Competent Authority due to accident or action solely & directly caused by external violent and visible means
- Frost Bite
- Sun Stroke
- Other convulsions to nature / calamities

-----लगातार पृष्ठ सं--2--

Scanned by CamScanner

- Blast/Explosion /Implosion in Nuclear Installation and by its Radiation (the said benefit will be available only on Duty-hours as per official/departmental record)
- Para – dropping during commando/ rescue operation
- Desert Storm
- Avalanche
- Medically boarded out from service. (If the insured person sustains any bodily injury solely and directly from accident caused by external Violent and visible mean or due to permanent disability having causal connection with Bonafide duty.
- Compensation of Rs. 10,00,000/- will be given for Loss of Two limbs or both eyes or one limbs and one eye .
- Compensation of Rs. 10,00,000/- will be given for Loss of one limb or one eye or loss of hearing of two ears.

3. अपंगता के प्रकरणों में कर्मी 09.03.2018 से 08.03.2019 तक दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो एवं दुर्घटना के फलस्वरूप ही मैडिकल बोर्ड आउट होने पर ही कर्मी को पॉलिसी में निहित प्रावधांन के अनुसार लाभांश देय होगा।

4. उक्त लाभांश के लिए दि न्यू इण्डिया एशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी दावा फार्म महानिदेशालय को दो दो सत्यापित प्रतियों में निम्नानुसार भेजना अनिवार्य है:–

I) <u>दुर्घटना मृत्यु के मामले में</u>:–

क) दि न्यू इण्डिया एशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी दुर्घटना बीमा दावा प्रपत्र सेनानी/कार्यालय अध्यक्ष से हस्ताक्षरित।
ख) विभागीय जॉच (Final Order of COI)
ग) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (Post mortem Report)
घ) पुलिस प्राथमिकी (FIR in prescribed proforma)
ड) राज्य सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति (Death Certificate attested Copy)
च) वाहन दुर्घटना के मामले में वैध ड्राईविंग लाईसेंस।

II) <u>अपंगता के मामले में</u>:–

क) दि न्यू इण्डिया एशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी दुर्घटना बीमा दावा प्रपत्र सेनानी/ कार्यालय अध्यक्ष से हस्ताक्षरित।
ख) चिकित्सा प्रमाण पत्र (Medical Certificate)
ग) मेडिकल बोर्ड आउट सम्बंधी दस्तावेज।
घ) शारीरिक अशक्तता प्रतिशत प्रमाण पत्र (Percentage of Disability)
ड) विभागीय जॉच (COI) की प्रति

5. जो कर्मी प्रतिनियुक्ति पर यू0एन मिशन, बी0आर0ओ0/हाईकमिशन अफगानिस्तान व अन्य विभागों एवं देशों में है, एवं जिन कर्मियों का प्रीमियम उपरोक्त महिने के वेतन से कटौती नही हुआ है या वेतन पर रोक लगाई गई (Pay withheld) है, उनका प्रीमियम 13.04.2017 तक सचिव NOK Welfare फण्ड महानिदेशालय,

——लगातार पृष्ठ सं—3——

Scanned by CamScanner

के खाता सं0 **35859042285** में जमा कर पूर्ण विवरण (जन्म तिथि एवं भर्ती तिथि) सहित, महानिदेशालय को भेजे, इस संदर्भ में यह भी अवगत कराया जाता है कि प्रीमियम जमा न होने के कारण ऐसे कर्मी बीमित नहीं होंगे एवं बीमा राशि से वंचित रह सकते है, इसके अतिरिक्त सभी वाहिनी/ईकाई के कार्यालयध्यक्षों से अनुरोध है कि अपनी वाहिनी में आमद होते ही नये इच्छुक रिकरुटों से उपरोक्तानुसार बीमा प्रीमियम लेकर उपरोक्त खाता सं0 में भिजवाये एवं कर्मियों का पूर्ण डाटा इस कार्यालय को उपलब्ध करवाये और अनिच्छुक कर्मियों का प्रार्थना पत्र की एक प्रतिलिपि अपने रिकॉर्ड में रखें तथा दूसरी इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रायः देखने में आया है कि कुछ रिकरुटो की ट्रेनिग के दौरान मृत्यु होने के कारण उनके उत्तराधिकारी को बीमा लाभ से वंचित रहना पडा है। साथ ही यह भी अवगत करवाया जाता है कि अपने अधीन कार्य कर रहे पदाधिकारियों को वैध ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने हेतु निर्देशित करें क्योंकि अवकाश में जाने के पश्चात कुछ कर्मी अपने निजि वाहनों से दुर्घटना ग्रस्त हो रहे है और वैध ड्राईविंग लाइसेंस न होने के कारण उन्हे दुर्घटना बीमा राशि का लाभांश देय किये जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है।

6 यहाँ यह भी अवगत कराया जाता है कि सम्बन्धित रिकरूट/प्रतिनियुक्ति पर पदाधिकारी का अंशदान बीमा कम्पनी को जमा हो जाने की स्थिति में ही वह बीमा लांभाश का हकदार होगा तथा नये भर्ती व किसी भी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर गये पदाधिकारियों का अशंदान जमा करवाने की जवाबदेही सम्बन्धित बल स्थापनाओं के कार्यालयध्यक्षों की होगी।

7. अतः अनुरोध है कि बीमा राशि के भुगतान हेतु प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में ठीक प्रकार से तैयार करके समस्त दस्तावेजों सहित दावा फार्म मृत्यु के 20 दिनों के भीतर महानिदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि मृतकों के उत्तराधिकारी को समय से बीमा राशि का भुगतान हो सके।

8. उक्त योजनाओं के बारे मे सभी अधिकारियों / जवानों को हर सम्मंव माध्यम् द्वारा सूचित किया जाये।

संलग्नः 1 दि न्यू इण्डिया एशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी दुर्घटना बीमा दावा प्रपत्र एवं MOU की छायाप्रति।

(संदीप खोसला)
उप महानिरीक्षक (प्रशासन)

सेवा में,

1 समस्त (सीमान्त) मुख्यालय/क्षेत्रीय मुख्यालय/ वाहिनियॉ/ प्रशिक्षण केन्द्र / ल0व0क0 जोन / आधार चिकित्सालय एवं रेफरल अस्पताल नई दिल्ली/ कम्पोजिट अस्पताल चण्डीगढ,देहरादून।
2 एन0टी0सी0डी0ए0/ 07वीं व 08 वीं एन0डी0आर0एफ / सी0आई0जे डब्लू0 स्कूल /लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल/ सभी आर0टी0सी0 ।
3 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, के0अ0का0, भा0ति0सी0पु0बल आर0के0पुरम् नइ दिल्ली।
4 अनुभाग अधिकारी स्थापना अनुभाग, महानिदेशालय को इस आशय से कि सभी प्रतिनियुक्ति में तैनात कर्मियों/ पदाधिकारियों को बीमा प्रीमियम संबंधित विभाग के माध्यम से जमा कराने हेतु निर्देशित करें।
5 अनुभाग अधिकारी (पर्स) अनुभाग, महानिदेशालय भा0ति0सी0पु0बल।
6 उप सेनानी प्रशासन, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल।
7 एस0पी0जी0, एन0एस0जी0, सी0बी0आई0 के0अन0ब्यूरो एवं सीमा सुरक्षा बल।

Scanned by CamScanner